NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 20-02-2026

विषय सूची

गूगल की अमेरिका-भारत संपर्क पहल

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों द्वारा अंधाधुंध मुफ्त वितरण/फ्रीबीज़(Freebies) पर प्रश्न उठाए

संघीय बजट 2026–27 में लैंगिक बजट आवंटन में वृद्धि

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा वैश्विक एआई-फॉर-एनर्जी मिशन प्रारंभ

संक्षिप्त समाचार

वाइब्रेंट विलेजेज़ प्रोग्राम–II (VVP-II)

ट्रम्प का बोर्ड ऑफ पीस

"बायो-एआई मूलांकुर" हब्स

भारत GI

ETFs (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स) में वृद्धि

भारत–यूके अपतटीय पवन टास्कफोर्स

बिहार में खुले मांस बिक्री पर प्रतिबंध

लॉगरहेड कछुए

गूगल की अमेरिका-भारत संपर्क पहल

संदर्भ

- इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में गूगल ने घोषणा की है कि वह पाँच वर्षों में 15 अरब डॉलर के निवेश के अंतर्गत नए सबसी केबल्स के माध्यम से भारत को अमेरिका से जोड़ेगा।

परिचय

- गूगल ने सहयोगात्मक अवसंरचना पहल की घोषणा की है, जिसका नाम अमेरिका-भारत संपर्क पहल रखा गया है।
- विशाखापट्टनम में एक नया अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे स्थापित किया जाएगा।
  - यह गेटवे गीगावॉट-स्तरीय कंप्यूट सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय सबसी केबल गेटवे का केंद्र होगा।
- भारत को सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने वाले तीन नए सबसी मार्ग बनाए जाएंगे।
  - चार रणनीतिक फाइबर-ऑप्टिक मार्ग भी स्थापित किए जाएंगे, जो भारत, अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ेंगे।

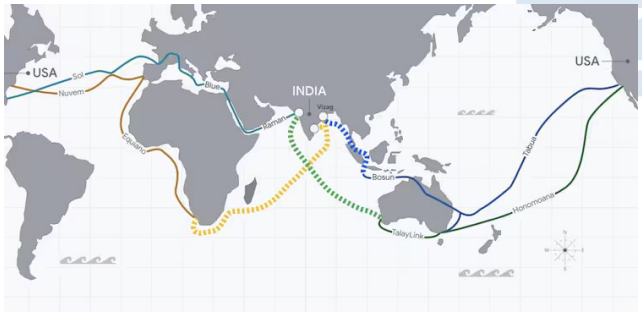

- गूगल ने सार्वजनिक सेवाओं में एआई के उपयोग हेतु 30 मिलियन डॉलर और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अतिरिक्त 30 मिलियन डॉलर देने का संकल्प लिया है।
- गूगल डीपमाइंड भारतीय सरकार के साथ नई साझेदारी भी शुरू कर रहा है, जिसके अंतर्गत उसके अग्रणी एआई फॉर साइंस मॉडल्स को भारत में लागू किया जाएगा।
- गूगल ने भारत में प्रमुख कौशल-विकास कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - छात्रों और प्रारंभिक करियर पेशेवरों के लिए गूगल एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट,
  - 2 करोड़ सार्वजनिक सेवकों को प्रशिक्षित करने हेतु कर्मयोगी भारत के साथ साझेदारी,
  - 11 मिलियन छात्रों तक पहुँचने वाले 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स को जनरेटिव एआई समर्थन।

महत्व

- नई अवसंरचना से भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी, साथ ही अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के हिस्सों के साथ संबंध भी सुदृढ़ होंगे।
- अधिक सबसी क्षमता का अर्थ है सस्ता और तीव्र इंटरनेट, जो उत्पादकता और व्यापक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।

सबसी केबल क्या हैं?

- सबसी केबल वैश्विक इंटरनेट नेटवर्क को जोड़ते हैं और फाइबर ऑप्टिक तारों के माध्यम से विशाल डेटा हस्तांतरण क्षमता प्रदान करते हैं।
  - ये केबल निर्धारित बिंदुओं पर समुद्र तट पर लैंडिंग करते हैं और स्थलीय नेटवर्क से जुड़ते हैं।
  - ये इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार ऑपरेटरों को अन्य देशों के नेटवर्क से जोड़ते हैं।
  - ये केबल कुछ इंच मोटे होते हैं और समुद्र तल के प्रतिकूल वातावरण को सहन करने के लिए मज़बूती से सुरक्षित किए जाते हैं।
- **सबसी केबल का महत्व:**
  - वैश्विक डेटा का लगभग 90%
  - विश्व व्यापार का लगभग 80%
  - प्रमुख वित्तीय और सरकारी लेन-देन
  - सबसी केबल्स पर निर्भर करते हैं।

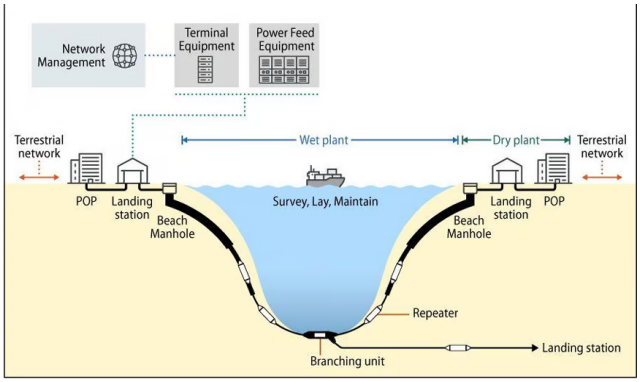

भारत की केबल अवसंरचना

- भारत के दो प्रमुख केबल हब मुंबई और चेन्नई हैं, जहाँ 17 केबल सिस्टम लैंडिंग करते हैं।
- भारत के पास दो घरेलू केबल सिस्टम भी हैं —
- चेन्नई-अंडमान और निकोबार द्वीप (CANI) केबल, जो द्वीपों को उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
- कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप परियोजना।

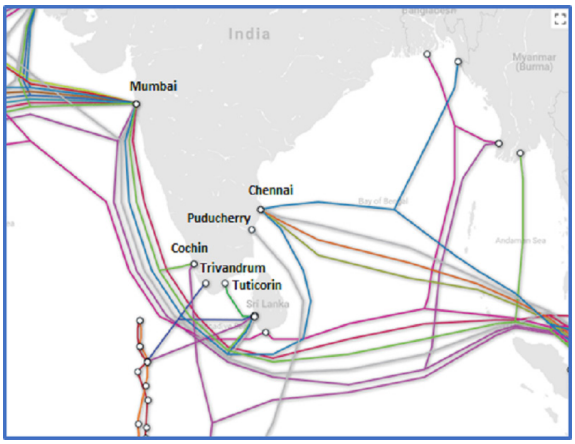

सबसी केबल लचीलापन हेतु अंतर्राष्ट्रीय परामर्श निकाय

- 2024 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) और अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति (ICPC) ने संयुक्त रूप से सबसी केबल लचीलापन हेतु अंतर्राष्ट्रीय परामर्श निकाय की स्थापना की।
- इस पहल का उद्देश्य सबसी केबल्स की लचीलापन को सुदृढ़ करना है।
- यह परामर्श निकाय बढ़ते ट्रैफ़िक, पुरानी अवसंरचना और पर्यावरणीय खतरों से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति (ICPC)

- ICPC की स्थापना 1958 में हुई थी। यह सरकारों और वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए एक वैश्विक मंच है, जो सबसी केबल उद्योग से जुड़े हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य सबसी केबल्स की सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके लिए यह तकनीकी, कानूनी और पर्यावरणीय जानकारी के आदान-प्रदान का मंच प्रदान करता है।

स्रोत: AIR

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों द्वारा अंधाधुंध मुफ्त वितरण/फ्रीबीज़(Freebies) पर प्रश्न उठाए

संदर्भ

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त सुविधाओं के वितरण पर प्रश्न उठाए और चिंता व्यक्त की कि ऐसी नीतियाँ, विशेषकर चुनावों से पूर्व, 'तुष्टिकरण' नीति जैसी प्रतीत होती हैं जो सार्वजनिक कोष के स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं।

'मुफ्त वितरण/फ्रीबीज़' क्या हैं?

- ये वे वस्तुएँ, सेवाएँ या वित्तीय लाभ हैं जिन्हें सरकारें लाभार्थियों को बिना किसी प्रत्यक्ष लागत के वितरित करती हैं।
- इसमें मुफ्त बिजली, जल, कृषि ऋण माफी, लैपटॉप, स्कूटर, नकद हस्तांतरण, मुफ्त बस यात्रा या सब्सिडी वाले खाद्यान्न शामिल हो सकते हैं।

भारत में फ्रीबीज़ के प्रकार

- **सार्वभौमिक फ्रीबीज़:** लाभ व्यापक रूप से दिए जाते हैं, बिना आय-आधारित लक्षित मानदंडों के।
  - एक सीमा तक मुफ्त बिजली;
  - महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा;
  - उपभोक्ता वस्तुओं (टीवी, लैपटॉप, स्कूटर) का वितरण।
- **लक्षित कल्याणकारी योजनाएँ:** विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाई जाती हैं।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत मुफ्त राशन;
  - आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति;
  - निम्न-आय परिवारों के लिए आवास योजनाएँ।
- **ऋण माफी:** कृषि ऋण माफी; MSME राहत पैकेज;
  - ऋण माफी सबसे अधिक विवादास्पद फ्रीबीज़ में से है क्योंकि इसका राजकोषीय प्रभाव अत्यधिक होता है।

संवैधानिक और कानूनी आधार

- भारत का संविधान एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करता है। सरकारों को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, असमानता कम करने और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आजीविका तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
  - अनुच्छेद 38, 39, 41 और 47 राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने का आह्वान करते हैं।
- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 123):** यह 'भ्रष्ट आचरण' से संबंधित है, यदि किसी उपहार, प्रस्ताव या संतुष्टि का वादा सीधे या प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रत्याशी, उसके एजेंट या उनकी सहमति से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा मतदाताओं को दिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

- **एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनावी घोषणापत्रों में किए गए फ्रीबीज़ के वादे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत 'भ्रष्ट आचरण' नहीं हैं, लेकिन वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं।
  - न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को घोषणापत्रों के लिए दिशा-निर्देश बनाने का निर्देश दिया।
- **अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ (2022):** न्यायालय ने कहा कि फ्रीबीज़ गंभीर आर्थिक और राजकोषीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं और मामले को तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा।
  - न्यायालय ने नीति आयोग, RBI और वित्त आयोग को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ निकाय बनाने का सुझाव दिया।
  - न्यायालय ने कल्याणकारी योजनाओं (शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य) और राजनीतिक लाभ हेतु फ्रीबीज़ के बीच अंतर किया।
- **द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनाम तमिलनाडु राज्य (2023):** मामले को बड़ी पीठ को भेजा गया ताकि सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सके।
  - यह मुद्दा संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है और न्यायिक विचाराधीन है।

फ्रीबीज़ के पक्ष में तर्क

- **सामाजिक न्याय और समानता:** भारत में आय असमानता अधिक है। मुफ्त या सब्सिडी वाली आवश्यक सेवाओं तक पहुँच कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को सुधार सकती है।
- **मानव पूंजी विकास:** मुफ्त शिक्षा उपकरण, स्वास्थ्य सेवा और पोषण प्रदान करना दीर्घकालिक आर्थिक लाभ दे सकता है।
- **आर्थिक प्रोत्साहन:** नकद हस्तांतरण और सब्सिडी उपभोग बढ़ा सकते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है।
- **राजनीतिक जवाबदेही:** लोकतंत्र में मतदाता सरकारों को वादे किए गए लाभों के आधार पर चुनते हैं। कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं को चुनावी प्रतिस्पर्धा का वैध हिस्सा माना जा सकता है।

फ्रीबीज़ के विरुद्ध तर्क

- **राजकोषीय भार:** कई राज्य गंभीर राजकोषीय घाटे में कार्य करते हैं। बड़े पैमाने पर मुफ्त वितरण ऋण बढ़ाता है और अवसंरचना के लिए वित्तीय स्थान कम करता है।
  - कई भारतीय राज्यों का ऋण-से-GSDP अनुपात अनुशंसित सीमा से अधिक है। फ्रीबीज़-प्रेरित व्यय राजकोषीय तनाव को और बढ़ा सकता है।
  - कृषि में मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाली विद्युत ने राज्य विद्युत बोर्डों के लिए बढ़ते घाटे उत्पन्न किए हैं।
  - वर्तमान उपभोग को वित्तपोषित करने हेतु उधार लेना भविष्य के करदाताओं पर वित्तीय बोझ डालता है।
- **विकास का अवरोध:** अल्पकालिक लाभों पर अत्यधिक व्यय सड़कों, सिंचाई, सार्वजनिक अस्पतालों, विद्यालयों और विद्युत अवसंरचना में निवेश को कम कर सकता है।

- **लक्षित न होना:** लाभ प्रायः उन संपन्न वर्गों तक पहुँच जाते हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता नहीं होती, जिससे दक्षता घटती है।
- **चुनावी लोकलुभावनवाद:** योजनाएँ कभी-कभी चुनावों के निकट घोषित की जाती हैं, जिससे वोट-खरीद की प्रवृत्ति पर चिंता बढ़ती है।

कल्याण और लोकलुभावनवाद में अंतर

कल्याण	लोकलुभावनवाद
कमजोर वर्गों को लक्षित	आय जाँच के बिना सार्वभौमिक
दीर्घकालिक उत्पादकता में सुधार	अल्पकालिक उपभोग वृद्धि
वित्तीय रूप से सतत	ऋण-आधारित, बिना पुनर्भुगतान योजना
पारदर्शी वित्त स्रोत	अस्पष्ट राजकोषीय रोडमैप

आगे की राह

- **लक्षित वितरण तंत्र:** आय डेटा, आधार लिंकिंग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली का उपयोग।
- **राजकोषीय जिम्मेदारी:** राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन (FRBM) मानदंडों का पालन।
- **परिणाम-आधारित मूल्यांकन:** योजनाओं का आकलन मापनीय सामाजिक और आर्थिक परिणामों के आधार पर।
- **पारदर्शी वित्तीय योजनाएँ:** सरकारों को वित्तीय स्रोतों और दीर्घकालिक प्रभावों का खुलासा करना चाहिए।
- **कल्याण और विकास का संतुलन:** कमजोर वर्गों की सुरक्षा करते हुए अवसंरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा में पर्याप्त संसाधन आवंटित करना।

स्रोत: TH

संघीय बजट 2026–27 में लैंगिक बजट आवंटन में वृद्धि

संदर्भ

- वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए लैंगिक बजट विवरण (Gender Budget Statement) में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण हेतु 5.01 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
  - यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 11.55% अधिक है।

लैंगिक बजटिंग (GB) क्या है?

- लैंगिक बजटिंग एक ऐसी पद्धति है जो सरकार की योजना और बजट प्रक्रिया में लैंगिक समानता को समाहित करती है तथा यह विश्लेषण करती है कि बजट किस प्रकार लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकता है।
- इसे सर्वप्रथम 2005-06 में प्रस्तुत किया गया था।

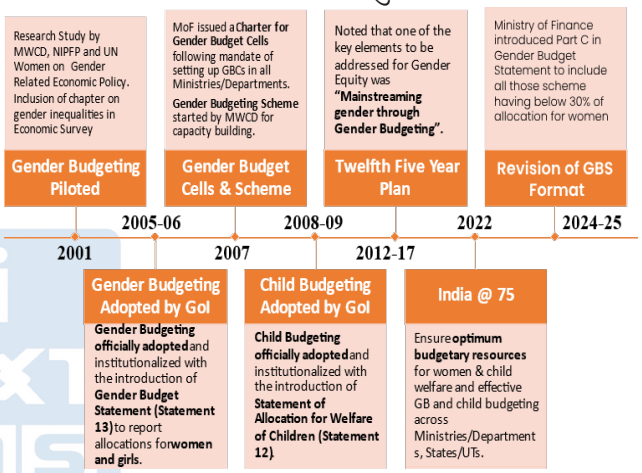

भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु कानूनी ढाँचा

- भारतीय संविधान अपने प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से लैंगिक समानता की गारंटी देता है।
  - अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है।
  - अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है।
  - अनुच्छेद 51(क)(ई) नागरिकों को महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली प्रथाओं का परित्याग करने के लिए प्रेरित करता है।
  - नीति निदेशक तत्व, विशेषकर अनुच्छेद 39 और 42, समान आजीविका अवसर, समान वेतन एवं मातृत्व राहत पर बल देते हैं।

लैंगिक बजटिंग की आवश्यकता

- **असमानताएँ:** अनुच्छेद 14 और 15 के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद महिलाएँ साक्षरता, कार्यबल भागीदारी, वेतन, स्वास्थ्य और संपत्ति तक पहुँच में असमानताओं का सामना करती हैं। लैंगिक बजटिंग इन संरचनात्मक असंतुलनों को सुधारने में सहायक है।
- **बजटिंग में अदृश्य पक्षपात का सुधार:** लैंगिक बजटिंग यह सुनिश्चित करती है कि कृषि, MSMEs, अवसंरचना और परिवहन जैसे क्षेत्रों की योजनाएँ महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखें।
- **आर्थिक विकास और जनसांख्यिकीय लाभांश:** महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने से GDP वृद्धि को बल मिलता है। अध्ययनों से पता चलता है कि महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ाने से राष्ट्रीय आय स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

सरकारी पहलें

- **मिशन शक्ति:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा 2021-2025 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम।
  - इसका उद्देश्य महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करना है, जिससे महिलाएँ राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार बन सकें।
- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ; सुकन्या समृद्धि योजना; जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम; प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** जैसी पहलें महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण में उल्लेखनीय सुधार लायी हैं।
- **मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम:** महिलाओं के स्वास्थ्य को केवल कैलोरी सेवन से आगे बढ़ाकर सूक्ष्म पोषक तत्वों के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार पर केंद्रित।
- **महिला इन साइंस एंड इंजीनियरिंग-किरण (WISE KIRAN) कार्यक्रम:** 2018 से 2023 के बीच लगभग 1,962 महिला वैज्ञानिकों को समर्थन प्रदान किया।
- **नारी शक्ति पुरस्कार:** विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है, उपलब्धियों का उत्सव मनाता है और अन्य लोगों को प्रेरित करता है।
- **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017:** निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश प्रदान करता है।

स्रोत: AIR

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा वैश्विक एआई-फॉर-एनर्जी मिशन प्रारंभ

समाचार में

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने *इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026* में **वैश्विक एआई-फॉर-एनर्जी मिशन** का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 120+ सदस्य देशों में स्वच्छ ऊर्जा में एआई को अपनाने की प्रक्रिया को तीव्र करना है, जिसमें भारत की *एनर्जी स्टैक* जैसी डिजिटल अवसंरचना पर विशेष बल दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

- यह एक वैश्विक पहल है जिसे 2015 में भारत और फ्रांस ने पेरिस में COP21 के दौरान प्रारंभ किया था।
- इसके 120 से अधिक सदस्य देश हैं और यह अफ्रीका, एशिया एवं द्वीपीय देशों में कार्य करता है।
- यह सरकारों के साथ मिलकर ऊर्जा तक पहुँच और ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास करता है तथा स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर स्थायी संक्रमण हेतु सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है।
- ISA की विकसित होती दृष्टि चार रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है:
  - **कैटलिटिक फाइनेंस हब:** बड़े पैमाने पर निवेश को खोलने और एकत्रित करने के लिए।
  - **वैश्विक क्षमता केंद्र और डिजिटलीकरण:** नवाचार, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और सदस्य देशों में क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए।
  - **क्षेत्रीय और देश-स्तरीय सहभागिता:** रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेपों को आगे बढ़ाने के लिए।
  - **प्रौद्योगिकी रोडमैप और नीति:** उभरती सौर प्रौद्योगिकियों की तैनाती को तीव्र करने हेतु नीतिगत ढाँचे और ज्ञान संसाधनों के माध्यम से।

एआई-फॉर-एनर्जी मिशन

- यह ऊर्जा संक्रमण के केंद्र में डिजिटल अवसंरचना और नागरिक-केंद्रित प्लेटफ़ॉर्म को रखता है।
- इसका उद्देश्य सरकारों, उद्योगों, वित्तीय संस्थानों और बहुपक्षीय संगठनों को एक साथ लाकर डिजिटल और एआई-सक्षम स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों को बड़े पैमाने पर लागू करना है।
- यह नीतिगत ढाँचे को सरेखित करने, डेटा अवसंरचना को सुदृढ़ करने, तकनीकी क्षमता का निर्माण करने और वित्त एकत्रित करने का प्रयास करता है — जिससे अलग-थलग पायलट परियोजनाओं से आगे बढ़कर प्रणाली-स्तरीय परिवर्तन संभव हो सके।

मिशन का महत्व

- **वैश्विक ऊर्जा संक्रमण:** एआई नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को अनुकूलित कर सकता है, संचरण हानियों को कम कर सकता है और सौर तथा पवन ऊर्जा के पूर्वानुमान को बेहतर बना सकता है।
- **नागरिक-केंद्रित प्रणालियाँ:** एआई-आधारित प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके ऊर्जा वितरण अधिक समावेशी, पारदर्शी और कुशल हो सकता है।
- **नीतिगत संरेखण:** मिशन का उद्देश्य 120+ देशों में डेटा प्रणालियों, वित्तपोषण और नियामक ढाँचों को सामंजस्यपूर्ण बनाना है, जिससे समन्वित प्रगति सुनिश्चित हो सके।
- **विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा:** एआई-आधारित समाधान देशों को पारंपरिक अवसंरचना मार्गों को पार करने में सहायता कर सकते हैं, ग्रिड की लचीलापन बढ़ा सकते हैं, परिचालन लागत घटा सकते हैं और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती को तीव्र कर सकते हैं।
- **भारत का नेतृत्व:** ISA का मेज़बान और संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत स्वयं को जलवायु कार्रवाई हेतु डिजिटल नवाचार में अग्रणी के रूप में प्रस्तुत करता है, जो सौर कूटनीति को एआई-आधारित शासन से जोड़ता है।

चुनौतियाँ

- कई विकासशील देशों में सुदृढ़ ऊर्जा डेटा अवसंरचना का अभाव है, जिससे एआई की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।
- डिजिटल उपकरणों और कनेक्टिविटी तक असमान पहुँच उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच असमानताओं को बढ़ा सकती है।
- एआई-आधारित ऊर्जा प्रणालियाँ साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिनके लिए सुदृढ़ सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।
- विविध राष्ट्रीय विनियमों को एक वैश्विक ढाँचे के अंतर्गत सरेखित करना जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील होगा।

निष्कर्ष

- ISA का **वैश्विक एआई-फॉर-एनर्जी मिशन** ऊर्जा प्रणालियों को एआई के माध्यम से लचीला, समावेशी और सतत बनाने का लक्ष्य रखता है।
- यह एआई-सक्षम ऊर्जा प्रणालियों को बड़े पैमाने पर लागू करने, ग्रिड प्रबंधन में सुधार करने, परिचालन लागत घटाने और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती को तीव्र करने का प्रयास करता है।
- इसकी सफलता डेटा अंतराल को समाप्त करने, समान पहुँच सुनिश्चित करने और सुदृढ़ शासन पर निर्भर करेगी, जिससे यह वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का प्रमुख चालक बन सकता है तथा भारत के नेतृत्व को सौर कूटनीति तथा डिजिटल अवसंरचना में उजागर कर सकता है।

स्रोत :DTE

संक्षिप्त समाचार

वाइब्रेंट विलेजेज़ प्रोग्राम–II (VVP-II)

समाचार में

- वाइब्रेंट विलेजेज़ प्रोग्राम–II (VVP-II) एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे केंद्रीय गृह मंत्री ने असम के कछार ज़िले के नाथनपुर गाँव में प्रारंभ किया।

परिचय

- VVP-II का उद्देश्य अवसंरचना की कमी को पूरा करना, पलायन को रोकना और सीमावर्ती क्षेत्रों में आजीविका सुधारना है, जिससे *विकसित भारत 2047* के अनुरूप सुरक्षित समुदायों का निर्माण हो सके।
- यह VVP-I पर आधारित है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं (पूर्व में शामिल उत्तरी सीमाओं को छोड़कर) के गाँवों में व्यापक विकास को लक्षित करता है। यह 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में FY 2028-29 तक ₹6,839 करोड़ के प्रावधान के साथ लागू होगा।
- यह 1986-87 के सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) से विकसित हुआ है। VVP-I (2023) ने उत्तरी सीमाओं को लक्षित किया था; VVP-II भारत-बांग्लादेश, भारत-नेपाल, भारत-म्यांमार, भारत-भूटान और भारत-पाकिस्तान सीमाओं तक विस्तारित है, जहाँ विशेष रणनीतियाँ अपनाई जाएँगी।

मुख्य विशेषताएँ

- **सैचुरेशन दृष्टिकोण:** सभी परिवारों को वर्तमान कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- **मुख्य अवसंरचना:** सर्व-ऋतु सड़कें (PMGSY-IV), दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि), टीवी कनेक्टिविटी (BIND), और विद्युतीकरण (RDSS) को प्राथमिकता।
- **आजीविका केंद्रित:** सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा, पर्यटन, शिक्षा (जैसे SMART कक्षाएँ), और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

स्रोत: PIB

ट्रम्प का बोर्ड ऑफ पीस

समाचार में

- भारत ने हाल ही में वाशिंगटन डीसी में आयोजित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के *बोर्ड ऑफ पीस ऑन गाज़ा* की उद्घाटन बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। यह बैठक *डोनाल्ड जे ट्रम्प इंस्टीट्यूट ऑफ पीस* में आयोजित हुई।

परिचय

- यह बोर्ड जनवरी 2026 में दावोस में स्थापित किया गया था।
- यह ट्रम्प की गाज़ा के लिए 20-बिंदु शांति योजना से उत्पन्न हुआ है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 ने समर्थन दिया था और जिसने इसराइल-हमास संघर्ष में युद्धविराम को संभव बनाया।
- बोर्ड का उद्देश्य गाज़ा का निरस्त्रीकरण, पुनर्निर्माण (अनुमानित $70 अरब), और क्षेत्र को स्थिर करना है — जिसमें सहायता, हमास का निरस्त्रीकरण एवं इसराइली सैनिकों की वापसी शामिल है।

स्रोत: TH

"बायो-एआई मूलांकुर" हब्स

समाचार में

- भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने *इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट* से जुड़े हालिया कार्यक्रमों में **बायो-एआई मूलांकुर हब्स** स्थापित करने की योजना की घोषणा की।

परिचय

- ये हब्स बंद-लूप प्लेटफ़ॉर्म तैयार करते हैं जो एआई पूर्वानुमानों को प्रयोगशाला सत्यापन और डेटा विश्लेषण के साथ एकीकृत करते हैं।
- इनका लक्ष्य जीनोमिक्स डायग्नोस्टिक्स, बायोमॉलिक्यूलर डिज़ाइन, सिंथेटिक बायोलॉजी और आयुर्वेद अनुसंधान है, जिससे बड़े पैमाने पर जैव-प्रौद्योगिकी समाधान विकसित किए जा सकें।
- यह पहल *BioE3 नीति* का समर्थन करती है, जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देती है।
- यह DBT की *Bio-RIDE योजना* पर आधारित है, जो स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरणीय लाभों हेतु एआई-बायोटेक अभिसरण पर बल देती है।

स्रोत: PIB

भारत GI

समाचार में

- *भारत GI*, भारत के भौगोलिक संकेत (GI) टैग वाले उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की राष्ट्रीय पहल, *इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026* में प्रमुखता से प्रस्तुत की गई।

परिचय

- *भारत GI* एक छत्र ब्रांड के रूप में कार्य करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के विशिष्ट GI उत्पादों जैसे कूर्ग कॉफी और दार्जिलिंग चाय को प्रदर्शित करता है।
- इसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है।
- यह डिजिटल उपकरणों का उपयोग करता है, जिनमें एआई-आधारित ट्रेसबिलिटी और बाज़ार विश्लेषण शामिल हैं, ताकि कारीगरों को सीधे वैश्विक खरीदारों से जोड़ा जा सके।

स्रोत: PIB

ETFs (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स) में वृद्धि

समाचार में

- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आँकड़ों के अनुसार, भारत के गोल्ड ETFs ने जनवरी माह में रिकॉर्ड 15.52 टन सोना खरीदा, जो विगत तीन महीनों की संयुक्त मांग के लगभग बराबर है।

ETFs (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स)

- ये निवेश फंड होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं और इनमें शेयर, बॉन्ड या कमोडिटी जैसी परिसंपत्तियों का मिश्रण होता है।
- ये निवेशकों को आसानी से विविधीकृत पोर्टफोलियो खरीदने, किसी विशेष सूचकांक या क्षेत्र को ट्रैक करने और विभिन्न बाज़ारों में लागत-प्रभावी निवेश का अवसर प्रदान करते हैं।
- इनके मूल्य पूरे कारोबारी दिन में उतार-चढ़ाव करते रहते हैं।

प्रकार

- **इक्विटी ETFs:** शेयरों में निवेश करते हैं, जैसे S&P 500 या क्षेत्र-विशिष्ट सूचकांकों को ट्रैक करना।
- **बॉन्ड ETFs:** सरकारी या कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करते हैं, स्थिरता और निश्चित आय प्रदान करते हैं।
- **कमोडिटी ETFs:** भारत में मुख्यतः सोना, जो कमोडिटी में निवेश और मुद्रास्फीति से बचाव का साधन है।
- **करेंसी ETFs:** वैश्विक स्तर पर विशिष्ट मुद्राओं को ट्रैक करते हैं, परंतु भारत में सीमित हैं।

लाभ

- ETFs परिसंपत्तियों में विविधीकरण प्रदान करते हैं और कम शुल्क के साथ लागत-प्रभावी होते हैं।
- ये उच्च तरलता प्रदान करते हैं क्योंकि ये शेयरों की तरह कारोबार करते हैं।
- दैनिक होल्डिंग्स का खुलासा करके पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।
- ये सामान्यतः म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कर-कुशल होते हैं।

समस्याएँ

- ETFs में ट्रेडिंग लागत जैसे कमीशन शामिल हो सकते हैं।
- खरीद-बिक्री की आसानी के कारण अत्यधिक ट्रेडिंग का जोखिम रहता है।
- इनमें ट्रैकिंग त्रुटियाँ हो सकती हैं, जहाँ प्रदर्शन मूल सूचकांक से थोड़ा भिन्न हो जाता है।

विकास

- जनवरी में सोने और चाँदी के ETF निवेशों में वृद्धि ने भारत का वस्तु व्यापार घाटा $35 अरब तक पहुँचा दिया, क्योंकि परिवार औपचारिक बचत से सतर्क रहते हुए अस्थिरता और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच धातुओं की ओर मुड़े।
- पहले *सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स* ने आयात को नियंत्रित करने में सहायता की थी, लेकिन 2024 में उच्च लागत के कारण इन्हें बंद कर दिया गया। इससे सोना, चाँदी और अन्य धातुओं के लिए नई योजना की माँग उठी।

स्रोत: IE

भारत–यूके अपतटीय पवन टास्कफोर्स

समाचार में

- भारत और यूनाइटेड किंगडम ने *भारत–यूके अपतटीय पवन टास्कफोर्स* का शुभारंभ किया।

परिचय

- इसे *विजन 2035* और चौथे भारत–यूके ऊर्जा संवाद के अंतर्गत गठित किया गया है।
- इसका उद्देश्य भारत के अपतटीय पवन ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु रणनीतिक नेतृत्व और समन्वय प्रदान करना है।
- यह *विजन 2035* के अंतर्गत व्यापक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी का हिस्सा है।
- सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं: पारिस्थितिकी तंत्र योजना और बाज़ार डिज़ाइन, जिसमें समुद्री तल पट्टा ढाँचे और राजस्व सुनिश्चितता तंत्र शामिल हैं।

महत्व

- अपतटीय पवन ऊर्जा तटीय औद्योगिक और हरित हाइड्रोजन क्लस्टरों को उच्च गुणवत्ता वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान कर सकती है, जिससे औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।
- भारत–यूके अपतटीय पवन टास्कफोर्स दोनों देशों के बीच पारस्परिक विश्वास को दर्शाती है कि वे अपतटीय पवन विकास में क्रियान्वयन चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं।
  - यूके अपतटीय पवन ऊर्जा को बड़े पैमाने पर विकसित करने और परिपक्व आपूर्ति श्रृंखलाओं का अनुभव लाता है, जबकि भारत पैमाना, दीर्घकालिक माँग में तीव्रता से वृद्धि स्वच्छ ऊर्जा बाज़ार की पेशकश करता है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता 272 GW से अधिक हो गई है, जिसमें 141 GW से अधिक सौर और 55 GW पवन क्षमता शामिल है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत ने 35 GW से अधिक सौर और 4.61 GW पवन क्षमता जोड़ी है।
- भारत *हाइड्रोजन ब्रेकथ्रू गोल* का नेतृत्व कर रहा है और *राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन* के तहत वैश्विक प्रतिस्पर्धी मानक हासिल किए हैं।
- हरित हाइड्रोजन की कीमत ₹279 प्रति किलोग्राम (लगभग £2.65 प्रति किग्रा) और हरित अमोनिया की कीमत ₹49.75 प्रति किलोग्राम (लगभग £0.47 प्रति किग्रा) के ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर पहुँच गई है।

स्रोत: PIB

बिहार में खुले मांस बिक्री पर प्रतिबंध

संदर्भ

- बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में खुले और बिना लाइसेंस वाले मांस की बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की।

परिचय

- यह प्रतिबंध शहरी नगर निगम क्षेत्रों में सड़कों के किनारे, साप्ताहिक बाज़ारों या सार्वजनिक स्थानों पर मांस और मछली की बिक्री पर लागू है।
  - अब बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों में ही होगी, जो स्वच्छता मानकों जैसे उचित अपशिष्ट निपटान का पालन करती हों।
- उल्लंघन पर *बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007* के अंतर्गत जुर्माना, सामान की जब्ती और दुकान बंद करने जैसी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- **तर्क:** खुले में बिक्री गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करती है, विशेषकर बिहार की आर्द्र जलवायु में।
  - बिना रेफ्रिजरेशन वाला मांस मक्खियों, धूल और कीटों को आकर्षित करता है, जिससे *साल्मोनेला, ई.कोलाई और लिस्टीरिया* जैसे रोगजनकों द्वारा संक्रमण बढ़ता है।
  - रक्त, पंख और आंतरिक अवशेष जैसे अपशिष्ट प्रायः नालियों को जाम कर देते हैं।
- **वैधता:** *बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007* नगरपालिकाओं को स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, स्थान और पर्यवेक्षण पर शर्तें लगाने का अधिकार देता है।

- **अन्य राज्य:** कई राज्यों में मांस और मछली की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त और बंद दुकानों की आवश्यकता होती है।
  - इनमें उत्तर प्रदेश, असम और झारखंड शामिल हैं।
  - ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने स्थानीय प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे त्योहारों के दौरान मंदिरों के पास या तीर्थ नगरों में।

स्रोत: IE

लॉगरहेड कछुए

संदर्भ

- हालिया अध्ययन के अनुसार, गर्म होते महासागर और घटती खाद्य उपलब्धता लॉगरहेड कछुओं के प्रजनन और प्रवासी पैटर्न को प्रभावित कर रही है।

लॉगरहेड कछुए (कैरेटा कैरेटा)

- लॉगरहेड कछुए का नाम इसके बड़े सिर के कारण पड़ा है, जो शक्तिशाली जबड़े की मांसपेशियों को सहारा देता है और इन्हें कठोर खोल वाले शिकार जैसे *वेल्क्स* एवं *कॉनच* खाने में सक्षम बनाता है।
- ये कैरेबियन क्षेत्र, अटलांटिक महासागर, पूर्वी भूमध्य सागर, हिंद महासागर और उत्तर एवं दक्षिण प्रशांत महासागरों में पाए जाते हैं।
- लॉगरहेड समुद्री कछुआ एक बड़ा सर्वाहारी समुद्री सरीसृप है और सात जीवित समुद्री कछुआ प्रजातियों में से एक है।
- ये 80 वर्ष या उससे अधिक तक जीवित रह सकते हैं।

खतरे

- मछली पकड़ने के उपकरणों में आकस्मिक फँसना (*bycatch*)।
- कछुओं और उनके अंडों का प्रत्यक्ष शिकार।
- घोंसले बनाने के आवास का नुकसान और क्षरण।
- बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियाँ।

संरक्षण स्थिति

- इन्हें *अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)* द्वारा **असुरक्षित (Vulnerable)** श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

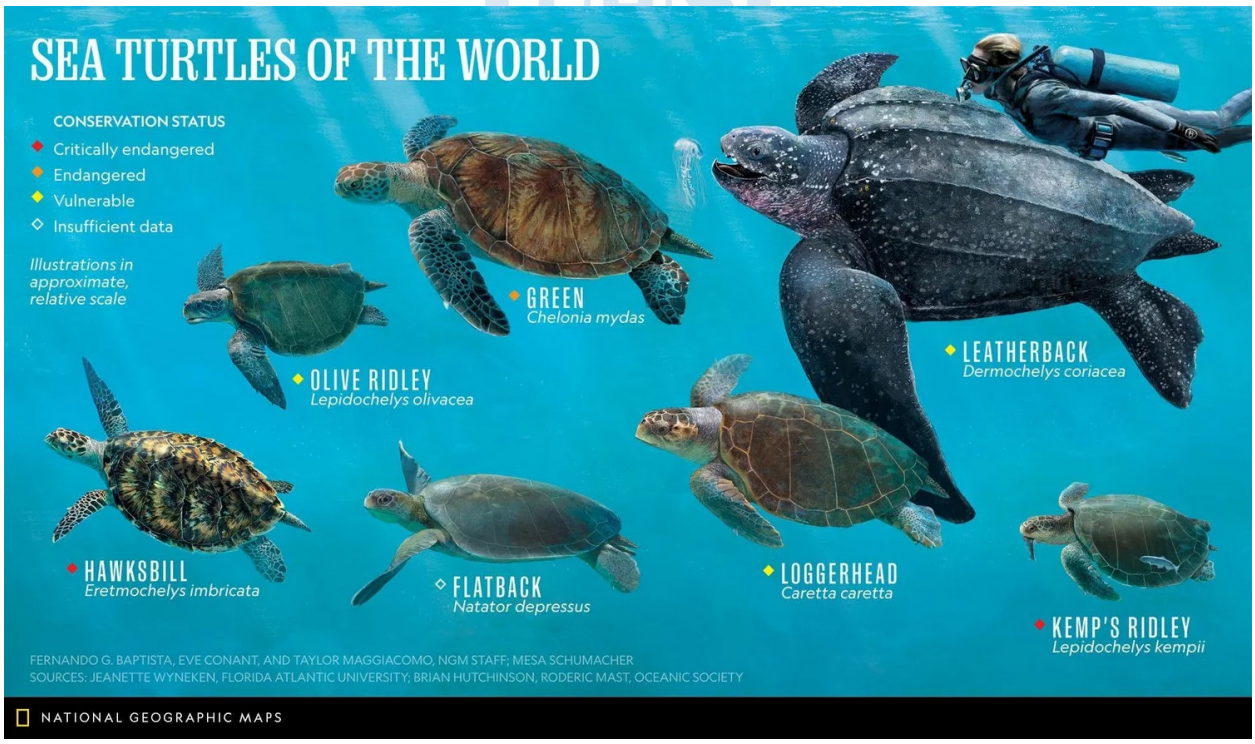

स्रोत: TH